<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

विभागीय पदोन्नति समिति(पुनर्रावलाकन) द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए)के अनुरूप ग्रुप डी–II में संवर्गित **प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप–एफ)** की वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिव्यू डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पूर्व के वर्षो में चयनित प्रधानाध्यापक–मावि का चयन इस कार्यालय के आदेशांक:– शिविरा/मा/संस्था/ बी–III/ प्रधानाध्यापक/रिव्यू 2013–14 से 2017–18(निरस्त) दिनांक:– 23.10.2020 द्वारा चयन को निरस्त किया गया हैं।

उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिक का चयन निरस्त किया गया हैं:–

क्र सं	वरिष्ठता क्रमांक		वर्ष	नाम	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिड्	चयन वर्ष	चयन निरस्त का कारण
1	1827	1	1991–92	GHASI LAL BALAI प्रधानाचार्य, राउमावि, खवासपुरा–देवली टौंक	01.07.1962	M	SC	T	2013–14	वरिष्ठता 1827(1)1997–98 होने के कारण

वरिष्ठता क्रमांक 1827–1/1991–92 श्री घासीलाल, वरिष्ठ अध्यापक का चयन प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर डीपीसी वर्ष 2017–18 में किया गया था। तत्पश्चात् पदस्थापन आदेश दिनांक 01.09.2017 द्वारा श्री घासीलाल,(व0क0 1827–1/1991–92) राउमावि,सीदरा टौंक का पदस्थापन रामावि, बलुन्दा टौंक में किया गया था। उक्त आदेश में **<u>स्पष्ट रूप से अंकित था कि कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, धारित पद जन्मतिथि एवं धारित अर्हता के विवरण का मिलान करने के उपरान्त ही कार्यमुक्ति की कार्यवाही की जावें, अन्यथा</u>** स्थिति में तत्काल निदेशालय को जरिये ई–मेल एवं रजिस्टर्ड डाक से सूचित करें। **<u>श्री घासी लाल बलाई, व0अ0 जो कि वर्ष 1997–98 के वरिष्ठ अध्यापक थे उनकों इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी वरिष्ठता क्रमांक:– 1827–1/1991–92 के अनुसार वे 1991–92 के वरिष्ठ अध्यापके नहीं है फिर भी प्रधानाध्यापक–मावि की पदोन्नति तथ्य छुपाकर प्राप्त की गई। जबकि वास्तविक वरिष्ठता क्रमांक 1827–1/1997–98 के आधार पर मात्र एक माह पूर्व ही इनके द्वारा व्याख्याता–राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यग्रहण किया गया था।</u>** प्रधानाध्यापक पद पर गलत वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष के आधार पर कार्यग्रहण के उपरान्त श्री बलाई द्वारा प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य–उमावि के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरुद्ध हुई पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 22.06.2019 द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण भी कर लिया। इस प्रकार श्री बलाई द्वारा प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर गलत पदोन्नति प्राप्त की एव उसी गलत पदोन्नति के आधार पर प्रधानाचार्य–उमावि के पद की पदोन्नति भी प्राप्त कर ली गई।

विभाग पदोन्नति समिति के समक्ष उक्त तथ्य आने पर श्री घासीलाल बलाई, प्रधनाचार्य, राउमावि, ,खवासपुरा–देवली टौंक के प्रधानाध्यापक–मावि के पदं हुए चयन को निरस्त कर दिया गया हैं। श्री बलाई को पदावतन किये जाने से पूर्व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा दिनांक:– 15.12.2020 को कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में श्री बलाई निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुए। लेकिन श्री बलाई ने अपने अभिकथन में उक्त गलत पदोन्नति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई

तथ्य /पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे वर्ष 1997–98 में वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित हुए जिसका वरिष्ठता कमाक 1827–1/1997–98 हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अब तक प्राप्त पदोन्नति आदेशों का ही उल्लेख किया गया हैं। जिससे स्पष्ट हुए कि श्री बलाई का इनकी वास्तविक वरिष्ठता कमांकः– 1827–1/97–98 के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज.विज्ञान /पदस्थापन/डीपीसी2017–18/17 दिनांक 28.07.2017 के व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति की जाकर पदस्थापन किया गया था। जिसके आधार पर इनके द्वारा व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद की पदोन्नति प्राप्त की गई।

अतः इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–III/प्रधानाध्यापक/रिव्यू 2013–14 से 2017–18(निरस्त) दिनांकः– 23.10.2020 एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर श्री घासीलाल बलाई, राउमावि,खवासपुरा–देवली, टौंक का प्रधानाध्यापक पदोन्नति आदेश 01.09.2017 , 04.01.2019 एवं प्रधानाचार्य पदोन्नति आदेश दिनांकः– 22.06.2019 को तत्काल प्रभाव से श्री बलाई की हद तक निरस्त किया जाता हैं। श्री बलाई अपनी वास्तविक वरिष्ठता व0क0 1827–1/1997–98 के आधार पर व्याख्याता–राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यग्रहण किया गया था। अतः इन्हे व्याख्यता–राजनीति विज्ञान के पद पर आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया जाता हैं।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेगें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कमांकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–I/प्र0अ0 रिवर्ट/रिव्यू डीपीसी/ 2017/2019 **दिनांकः– 21/01/2021**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, देवली, टौंक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
07. प्रधानाचार्य, राउमावि, खवासपुरा–देवली टौंक
08. GHASI LAL BALAI प्रधानाचार्य, राउमावि, खवासपुरा–देवली टौंक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करने की कार्यवाही निर्देशानुसार सुनिश्चित करें।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक–कार्मिक